

**न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,  
अलवर [ राज० ]**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
-------------	--------------------	--

25 <sup>1</sup>/<sub>17</sub>

अभिभावक अपील/सेसो उपस्थित।  
अतः पञ्जावली पत्र सं० 64/ R27  
दिनांक 20.4.17 को भेजा हो।

24 <sup>3</sup>/<sub>17</sub>

अभिभावक सेसो में न्यायाधीश-पत्र प्राप्त करने पर पञ्जावली पत्र सं० 64/ R27 को भेजा जा चुका है।  
यह कि बिना किसी भी Acm लागू करने पर ही  
विचाराधीन मूल काद को न्यायाधीश VLS जवाहारपुर  
(जामकाद सं० 26/17) में दिनांक 3-1-16 को  
कदम एतद्वारा एक कदम पेश की है जो कि न्यायाधीश  
द्वारा 10/4/17 को विचाराधीन कमील  
में 2 R T A के अन्तर्गत में लिखा हुआ मसुदा की  
जहाँ ही इसके मूल काद का ही विचार हो चुका है  
तो न्यायालय सीमा में विचाराधीन कमील का  
कोई आशय नहीं रहता है अतः अपील (पत्र) को  
निरास्य।

एतद्वारा पञ्जावली पत्र सं० 64/ R27 को  
अभिभावक कमील-2 में उपस्थित कार्य-  
कमील (न्यायाधीश) को भेजा जा चुका है।  
कमील का न्यायाधीश न्यायाधीश-पत्र प्राप्त  
कमील कमील न्यायाधीश न्यायाधीश/पञ्जावली  
के अन्तर्गत मसुदा में न्यायाधीश  
आपत कमील का विचार किया है।

तद्वत् पञ्जावली  
पत्र सं० 64/ R27  
7-6-18 को  
50.0 कमील  
को भेजा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर